न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी–3127/2018/विदिशा/भू.रा.

प्रकरण क्रमांक ~~/निग./विदिशा/भू.रा./2018~~ ....

श्री लखन सिंह धाकड़ एड. द्वारा आज दि. 21/05/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 28/05/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1– ताजवर जहॉ पुत्री श्री काले खॉ

2– मनावर जहॉ पुत्री श्री काले खॉ
निवासीगण– ग्राम हैदरगढ, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा(म.प्र.)

...............**आवेदिकागण**

बनाम

जमशेदखांन पुत्र ताजवरअली निवासी– ग्राम हैदरगढ, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा(म.प्र.) ....**अनावेदक**

Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, ग्यारसपुर, जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 02/पुर्नविलोकन/17–18 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत ।

माननीय न्यायालय,

आवेदिकागण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदिकागण के स्वत्व स्वामित्व की भूमि के संबंध में अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार महोदय ग्यारसपुर के समक्ष वर्ष 2012 में नामांतरण करवाने हेतु एक आवेदन पत्र पेश किया गया, उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष अनावेदक द्वारा राजीनामा के आधार पर प्रकरण में नामांतरण की कार्यवाही नहीं चाहते ऐसा आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29.07.2017 से स्वीकार किया गया।

2. यह कि, अनावेदक की ओर से नायब तहसीलदार महोदय ग्यारसपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस वावत प्रस्तुत किया गया कि उक्त नामांतरण प्रकरण जो राजीनामा दिनांक 27.07.17 में समाप्त किया गया है उसे पुनः रीओपन किया

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3127/2018/विदिशा/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह वैधानिक बिंदु उठाया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना दूसरे पक्ष को सुने रिव्यू की अनुमति दी गई हो जो संहिता के प्रावधानों के विपरीत है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2000 आर0एन0 76 (उच्च न्यायालय) एवं 2007 आर.एन. 77 का हवाला दिया गया है । उनके द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अवैधानिक तरीके से कार्यवाही की जा रही है । उक्त आधार पर उन्होंने निगरानी ग्राह्य करने तथा स्थगन दिए जाने का अनुरोध किया गया । 2/ इस प्रकरण में एक मात्र विचारणीय बिंदु यह है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की गई है वह विधिसम्मत है या नहीं ? आलोच्य आदेश पत्रिका दिनांक 1–5–18 जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की गई है, उक्त अनुमति अनुविभागीय अधिकारी ने प्रभावित पक्ष को सुने बिना प्रदान की गई है जो संहिता की धारा 51 के प्रावधानों के विपरीत है । न्यायदृष्टांत 2000 आर0एन0 76 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व मंडल या अन्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाने से पूर्व प्रतिपक्ष को सूचनापत्र निर्वाहित किया जाना और उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है । इसी प्रकार की व्यवस्था न्यायदृष्टांत	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

2007 आर0एन0 77 में राजस्व मंडल के विद्वान अध्यक्ष द्वारा दी गई है । जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने प्रतिपक्ष (आवेदकों) को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना अनुमति प्रदान की गई है जो उक्त न्यायदृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत नहीं है । चूंकि इस निगरानी में अन्य कोई बिंदु विचारणीय नहीं है इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का आलोच्य आदेश दिनांक 1–5–18 इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रतिवेदन पर आवेदकों को सुनवाई तथा अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देकर अनुमति के संबंध में विधिवत निर्णय लें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है ।

प्रशा0 सदस्य